

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एव आवास विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य की राजधानी राँची में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited- RSCCL) नामक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के गठन के संबंध में।

शहरी क्षेत्र प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास का ईजन होते हैं। शहरीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ शहरों के लिए भौतिक, संस्थानिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवसंरचना का व्यापक विकास अपेक्षित है। ये सभी विकास और वृद्धि के सूचक की गति को सही दिशा देने के लिए, शहरों की ओर लोगों और निवेश को आकर्षित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके निमित्त भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय के द्वारा एक नई योजना की परिकल्पना वर्ष 2015 में "स्मार्ट सिटी मिशन" के रूप में की गई है। मिशन की अवधि वर्ष 2015-16 से 2019-20 है।

2. राज्य की राजधानी राँची की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.73 लाख है, जिसमें लगातार वृद्धि (वर्ष 2001 से 2011 के दशक के बीच-30%) हो रही है तथा मास्टर प्लान 2037 की समाप्ति तक अनुमानित जनसंख्या 31.6 लाख हो जाएगी।

3. अतः शहर के विभिन्न संसाधनों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करने एवं सुदृढ़ भौतिक, संस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना प्रदान करने हेतु "स्मार्ट सिटी" के रूप में झारखण्ड राज्य की राजधानी, राँची शहर के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु राँची शहर के प्रस्ताव में मुख्य रूप से निम्नांकित घटक शामिल हैं :-

4.1 क्षेत्र आधारित विकास - इस हेतु शहर के एच०ई०सी० (हैवी इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन) क्षेत्र में 375 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें तीन मॉडल, क्रमशः नगर सुधार (रिट्रोफिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) एवं नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) हेतु विभिन्न प्रस्तावों का समावेश है।

4.2 पैन सिटी विकास - इसके तहत प्रबुद्ध ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

5. नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार, राँची में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन साधन (SPV) "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) का निम्नवत् गठन का निर्णय लिया गया है :-

5.1 नाम एवं निबंधित कार्यालय :-

5.1.1 विशेष प्रयोजन साधन (SPV) का नाम "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) होगा।

5.1.2 कंपनी का निबंधित कार्यालय राँची, झारखण्ड में होगा।

- 5.2 पंजीकरण :- "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) का पंजीकरण, कंपनी एक्ट, 2013 के अंतर्गत किया जाएगा।
- 5.3 स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चिन्हित 375 एकड़ भूमि को विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.), "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- 5.4 "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन लिए चयनित भूमि को आवश्यकतानुसार यथा चयनित निजी भागीदारों/विकासकर्ताओं/विनियोगकर्ताओं को पट्टा/उप पट्टा के आधार पर देने के लिए यथागठित SPV "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के द्वारा विनियमन (Regulation) तैयार किया जायेगा, जिसे SPV के निदेशक मण्डल से पारित कराने के उपरांत स्मार्ट सिटी परियोजना के दिशा-निर्देश के तहत मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति" (MPSC) से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसके आधार पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 5.5 "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के गठन का मुख्य उद्देश्य एवं भूमिका निम्नवत् होंगे :-
- 5.5.1 रांची में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु समग्र कार्यक्रम का नियोजन एवं सूत्रण करना तथा निर्धारित समय-सीमा के अंदर योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- 5.5.2 परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण, मूल्यांकन एवं समस्त तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
- 5.5.3 स्मार्ट सिटी से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण स्वायत्तता के साथ करना।
- 5.5.4 नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सभी संबंधित विभागों, राज्य सरकार की नियमावली, स्थानीय विधि, इत्यादि द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- 5.5.5 निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवश्यक संसाधनों (वित्तीय एवं भौतिक) को जुटाना एवं इस हेतु आवश्यक रणनीति तैयार करना।
- 5.5.6 तीसरे पक्ष के द्वारा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये तथ्यों/प्रतिवेदनों पर विचार करना एवं उक्त के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना
- 5.5.7 क्षमता संवर्धन संबंधी गतिविधियों का संचालन एवं अनुश्रवण।
- 5.5.8 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।

4552
16/08/16

- 5.5.9 स्मार्ट सिटी मिशन की प्रत्येक गतिविधि का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना, जिसमें बजट सूत्रण, योजनाओं का कार्यान्वयन, स्मार्ट सिटी से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना, नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/विभिन्न संस्थानों/मिशन, इत्यादि से आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करना।
- 5.5.10 स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परिसंपत्ति/भूमि की खरीद, तत्संबंधी निर्माण/क्रय/विक्रय/विकास/विनिमय/पट्टा/भाड़े या अन्य प्रकार के अधिग्रहण हेतु कार्रवाई करना।
- 5.5.11 क्वालिटी कंट्रोल (Quality Control) से संबंधित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा इस क्रम में समय-समय पर प्रकाश में आने वाले विभिन्न मामलों के संबंध में कार्रवाई करना।
- 5.5.12 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार संयुक्त उपक्रमों एवं सहायक/अनुषंगी कंपनियों का संयोजन करना एवं आवश्यकतानुसार लोक निजी भागीदारी (विदेशी संस्थानों सहित) आधारित एकरारनामा करते हुए समुचित कार्रवाई करना।
- 5.5.13 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार, भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के साथ सर्विस डेलिवरी प्रबंधन, साझेदारी एवं अनुबंध करना।
- 5.5.14 "रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार सहायक/अनुषंगी कम्पनी (Subsidiary Company) का गठन "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति" (HPSC) के अनुमोदन से किया जा सकेगा।
- 5.5.15 राँची नगर निगम के बोर्ड द्वारा दिनांक 02.12.2015 को लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं समय-समय पर निर्गत सरकारी अधिनियम, नियम, निर्देश, परिपत्र, संकल्प, अधिसूचना इत्यादि के अधीन राँची नगर निगम को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना, जिस क्रम में कर, शुल्क, आदि का निर्धारण, संग्रहण, व्यय इत्यादि सम्मिलित हैं।
- 5.5.16 नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के परिशिष्ट V की कंडिका 4.1.3 के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-873, दिनांक-11.12.2015 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से निर्णय लेने की प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग।

4552
16/08/16







5.5.17 स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन के क्रम में शहरी परिवहन के निमित्त पंजीकृत SPV "झारखण्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड" (JUTCOL), नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा त्वरित एवं सुनियोजित शहरी विकास हेतु गठित "झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड" (JUIDCO Ltd.), इत्यादि राज्य सरकार के विभिन्न लोक उपक्रमों के साथ आवश्यकतानुसार पारस्परिक समन्वयन एवं सहयोग प्राप्त करना।

5.5.18 स्मार्ट सिटी मिशन के स्कोप के अंदर, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्य।

5.6 प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित अधिकार क्षेत्र :-

प्रसंगाधीन स्मार्ट सिटी राँची के अंतर्गत राज्य सरकार एवं नगर निकाय द्वारा नगरपालिका अधिनियम-2011 के अधीन यथा प्रत्यायोजित निम्नांकित शक्तियों का उपयोग प्रस्तावित "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के द्वारा किया जायेगा:-

5.6.1 दिनांक 02.12.2015 को आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राँची नगर निगम बोर्ड को नगरपालिका अधिनियम-2011 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग प्रस्तावित "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के द्वारा किया जाएगा।

4552
16/08/16

5.6.2 नगरपालिका अधिनियम-2011 के आलोक में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध शक्तियों का उपभोग "राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" के निदेशक मंडल के द्वारा किया जाएगा।

5.6.3 जिन मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, उन पर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संकल्प सं. 4485 दिनांक 04.12.2016 के द्वारा गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति" (HPSC) के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

5.7 पूँजी :-

राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) की न्यूनतम अधिकृत तथा प्रदत्त पूँजी रु० 200/-करोड़ (दो सौ करोड़ रुपए मात्र/-) होगी, जो रु० 10/-के 20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपए मात्र/-) इक्विटी अंशों में विभक्त होगी।

5.8

अंशधारक :-

“रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड” (Ranchi Smart City Corporation Limited) के अंशधारक निम्नवत होंगे:-

क्र० सं०	अंशधारक	अंशधारक द्वारा धारित प्रतिभूति
1.	माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रतिनिधि के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड	9,99,99,994
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड	1
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखण्ड	1
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि-सुधार विभाग, झारखण्ड	1
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड	1
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड	1
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड	1
8.	नगर आयुक्त, रांची नगर निगम	9,99,99,999
9.	केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	1

5.9

निदेशक मंडल (Board of Directors) :-

5.9.1 रांची “स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड” (Ranchi Smart City Corporation Limited) के निदेशक मंडल (Board of Directors) निम्नवत होंगे :-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड (राज्य सरकार के प्रतिनिधि)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड (राज्य सरकार के प्रतिनिधि)	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
3.	निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (राज्य सरकार के प्रतिनिधि)	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
4.	नगर आयुक्त, रांची (रांची नगर निगम के प्रतिनिधि)	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
5.	अपर नगर आयुक्त, रांची (रांची नगर निगम के प्रतिनिधि)	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
6.	रांची नगर निगम के प्रतिनिधि (रांची नगर निगम द्वारा मनोनीत)	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
7.	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (बोर्ड द्वारा चयनित)	कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव निदेशक)
8.	निदेशक, तकनीकी (बोर्ड द्वारा चयनित)	कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव निदेशक)
9.	निदेशक, वित्त (बोर्ड द्वारा चयनित)	कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव निदेशक)
10.	निदेशक, मानव संसाधन (बोर्ड द्वारा चयनित)	कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव निदेशक)
11.	केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	गैर कार्यकारी निदेशक (नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक)
12.		स्वतंत्र निदेशक
13.		स्वतंत्र निदेशक

5.9.2 मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, गैर कार्यकारिणी एवं स्वतंत्र निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशकों को भी आवश्यकतानुसार निदेशक मण्डल के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सम्मिलित किया जा सकेगा।

5.10 "रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) द्वारा कार्यों का संपादन यथा स्वीकृत "Memorandum of Association" (MoA) तथा "Article of Association" (AoA) के आधार पर किया जाएगा।

5.11 "रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु विषय संबंधित विशेषज्ञ एवं आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारी/कर्मि नियुक्त किए जा सकेंगे। उक्त विशेषज्ञों/पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति विज्ञापन के द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। विज्ञापित पदों पर संविदा आधारित सेवाएँ/प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा लोक उपक्रम के पदाधिकारी/कर्मि अपना आवेदन दे सकेंगे। चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से यथा संभव की जा सकेगी।

5.12 राजस्व के स्रोत :-

"रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (Ranchi Smart City Corporation Limited) में राजस्व के स्रोत BOT (Build- Operate-Transfer) के अधीन निजी भागीदार/विकासकर्ता से प्राप्त रियायती अदायगी, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण अथवा अनुदान, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान, स्वयं के विभिन्न संसाधनों से प्राप्त आय, "रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड" को प्राप्त भूमि पर TDR (Transfer of Development Rights), ToD (Transit Oriented Development) प्रक्षेत्र में व्यवसायिक विकास/निर्माण से प्राप्त आय, इत्यादि होंगे।

5.13 "रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के द्वारा संपादित कार्यों में उत्पन्न किसी प्रकार के विवादों का निपटारा झारखण्ड उच्च न्यायालय में यथा विहित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

6. नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 11 उप कंडिका 11.1 के आलोक में स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया जायेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के निमित्त चयनित प्रत्येक शहर को अगले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष 100 करोड़ केन्द्रांश अर्थात् कुल 500 करोड़ केन्द्रांश के रूप आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त केन्द्रांश के विरुद्ध Matching Grant के रूप में उतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4552
16/08/16

20/08/16

20/08/16

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10.08.2016 में मद संख्या 15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- SUDA/SCM/SPV_RSCCL-13/2016.....4552

दिनांक.....16/08/16.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाए। नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- SUDA/SCM/SPV_RSCCL-13/2016.....4552

दिनांक.....16/08/16

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/सभी पदाधिकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, जुडको लि. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।